-488

सं. ग्रो. वि. एफ.डी./गुड़गांव/126-87/27171.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० केफको, दौलताबाद रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्री विश्व नाथ, पुत्र श्री राम लखन, मार्फत श्री महावीर त्यागी, ग्रौरगेनाईजर, इण्टक, दिल्ली रोड़, गुड़गांव, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है ;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं।

इसलिए, ग्रब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त ग्रधिनियम की धारा 7-क के ग्रधीन गठित ग्रौद्योगिक ग्रधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं ग्रथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री विश्वनाथ की सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ग्रो. वि. यमुना/30-87/27178.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० (1) परिवहन ग्रायुक्त हरियाणा चण्डीगढ़। (2) महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, यमुनानगर, के श्रमिक श्री राम सरूप, गांव ग्रहमदपुर, डा० सलाहपुर, बाया सढ़ौरा, तहसील नारायणगढ़, जिला ग्रम्बाला, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है ;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, ग्रब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी ग्रधिसूचना सं-3 (44)-83-श्रम. 3, दिनांक 18 ग्रप्रैल, 1984, द्वारा उक्त ग्रधिसूचना की धारा 7 के ग्रधीन गठित श्रम न्यायालय, ग्रम्बाला, को विवादग्रस्त या उन से सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत ग्रथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राम सरूप की सेवाग्रों का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ग्रो. वि./एफ०डी०/गुड़गांव/114-87/27185.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं० इण्डो निप्पन फुडज प्रा० लि०, 7, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, पालम गुड़गांव रोड़, गुड़गांव, के श्रमिक श्रीमती हंस मुखी, मार्फत मर्केनटाईल इम्पलाईज ऐसोसिएशन, एच-347, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है ;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, ग्रब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त ग्रधिनियम की धारा 7-क के ग्रधीन गठित ग्रौद्योगिक ग्रधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे, विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं ग्रथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्रीमती हंस मुखी की प्रबन्धकों द्वारा सेवा समाप्त की गई या उसने चुकती हिसाब लेकर स्वयं नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत की हकदार है ?

सं० ग्रो० वि० एफ.डी./50-87/27192.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० पूर्वा इंजीनियर्ज लि०, 12/6, मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री समसुल हक, मार्फत एटक ग्राफिस, एन. ग्राई. टी. फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई ग्रौद्योगिक विवाद है ;

ग्रौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, ग्रब, ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त ग्रधिनियम की धारा 7-क के ग्रधीन

गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री समसुल हक की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं ही अपनी इच्छा से चुकती हिसाब प्राप्त कर के नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० एफ.डी./148-87/27199.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० प्रवीन रिनफोर्सड प्लास्टिक प्रा० लि०, प्लाट नं० 135, डी. एल. एफ., मथुरा रोड़, फरीदाबाद के श्रमिक श्री अलाऊदीन, पुत्र श्री जैनुल शाह मार्फत हिन्द मजदूर सभा, 29, शहीद चौक, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है,

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्याया निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री अलाऊदीन की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० एफ.डी./गुड़गांव/116-87/27206.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० कैमकौन रेलवे रोड, गुड़गांव के श्रमिक श्री मदन लाल, पुत्र श्री जांजी राम, मकान नं० 678 अर्जन नगर, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्याय-निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्याय निर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री मदन लाल की सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो यह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० एफ.डी./गुड़गांव/143-87/27213.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० वैस्ट्रन इंडिया इण्डस्ट्रीज लि०, 55, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट पालम, गुड़गांव रोड, गुड़गांव के श्रमिक श्री मोहिन्द्र पाल मेहता मार्फत श्री पी. के थम्पी जनरल सैक्रेटरी वी-II आई. डी. पी. एल. टाउनशिप, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है, और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, के फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो

विवादग्रस्त मामला हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्याय निर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री मोहिन्द्र पाल मेहता की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

स० ओ० वि० एफ.डी./गुड़गांव/137-87/27220.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० वेस्ट्रन इण्डिया इण्डस्ट्रीज लि०, 55, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट पालम, गुड़गांव रोड़, गुड़गांव के श्रमिक श्री मतंबर सिंह मार्फत श्री पी. के. थम्पी, जनरल सैक्रेटरी, बी–II आई. डी. पी. एल. टाऊनशिप, गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है, न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री मतबर सिंह की सेवाओं का समापन/छांटी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि० पानीपत/19-87/27226.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चंडीगढ़, (2) कार्यकारी अभियन्ता, सिविल कन्स्ट्रक्शन डिवीजन, थर्मल पावर प्रोजैक्ट एच० एस० ई० बी० आसन, पानीपत के श्रमिक श्री सत नारायण मार्फत भारतीय मजदूर संघ जी० टी० रोड़, पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44) 84-3 श्रम/ दिनांक 18-4-84 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सत नारायण, पुत्र श्री दरिया सिंह की सेवाओं का समापन/छटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ;

सं. ओ. वि. एफडी/66-87/27234.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० सिकन्दस लि०, 61, न्यू इण्डस्ट्रीयल टाऊनशिप, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री मोहन लाल मार्फत श्री के. एल. शर्मा, उप प्रधान हरियाणा इन्टक जी-15, ओल्ड प्रैस कालोनी, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के, मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से संतुलन सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री मोहन लाल सैटर की सेवा समाप्ति न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?